राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 135/2017 अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट भूदाराम बनाम नैना उ!र्फ नोना वगैरा

निर्णय आदेशिका
दिनांक 27–6–2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ मे मेरे समक्ष पेश हुई । विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण को केम्प कोर्ट के नोटिस तामिल होने के बावजूद स्वंय या इनके अधिवक्तागण कोई भी हाजिर नही हुये । अप्रार्थी संख्या 6 स्टेट तहसीलदार/सिरोही हाजिर है। दौराने सुनवाई तहसीलदार/सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । प्रार्थी व वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व वकील अप्रार्थीगण कोई भी केम्प कोर्ट की सूचना होने के बावजूद हाजिर नही हुये है। स्टेट की ओर से तहसीलदार /सिरोही उपस्थित होकर विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । हमने पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 283 के खसरा नंबर 476/477/478/479/480/481/491/591 किता 8 कुल रकबा 6.1300 हेक्टेयर/बिजली के बिल/बेचान लिखत की प्रति मौके के फोटोग्राफस/वकील अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 19–9–2017 जमाबंदी संवत 2067 से 2070 बेचान लिखत दिनांक 30–8–1972 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी 2071 से 2074 खाता संख्या 283 के खसरा नंबर 476/477/478/479/480/481/491/591 किता 8 कुल रकबा 6.1300 हेक्टेयर व तहसीलदार/सिरोही के जवाब के अनुसार प्रार्थी खाता नंबर 283 मे खातेदार नही हे। तथा खाता नंबर 284 मे प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का खातेदार कृष्क नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के पिता ताराजी द्वारा अपनी स्वंय की आय अदा कर पूर्व खातेदारों से रजिस्र्टड विक्रय विलेख के जरिये खरीद की थी एवं तब से काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टयॉ मामला नही बनता है। और न ही प्रार्थी के सुविधा का संतुलन व अतुलनीय क्षति है। प्रार्थी खाता संख्या 284 मे दर्ज कृषि आराजी मे हक हिस्से अनुसार काबिज है एवं संयुक्त आराजी है खाता संख्या 283 की आराजी मे प्रार्थी का कोई हक हिस्सा है औरा न ही लेना देना है। प्रार्थी ने विक्रय विलेख को आधार बनाते हुये यह प्रार्थनापत्र पेश किया है एवं विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बगैर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र कानूनन नेन्टेनिबल नही है एवं विक्रय विलेख के संबंध मे चुनौती देने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है न की राजस्व न्यायालय को है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ता 5 वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार कृष्क है एवं कानूनन खातेदार कृष्क के विरूद्व कूननन कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण जो टाईटल व आधिपत्य वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होने का दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थी उक्त प्रार्थनापत्र को सिद्व करने मे असफल रहा है। अतः प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण/सुविधा का संतुलन व अपरमित क्षति के बिन्दुं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 5 तक के पक्ष मे जाना जाहिर होता है। अतः विधि मे प्रावधानो के तहत अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद नही किया जा सकता है। अतः उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 तक का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। उपरोक्त निर्णय रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

27/6/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)